

आर्थिक अपराध इकाई, डॉ० श्रीकृष्ण सिंह पथ, बिहार, पटना के कार्यालय भवन एवं परिसर की सफाई संबंधी निविदा।

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के (1) कार्यालय भवन एवं परिसर तथा (2) स्टेट साईबर क्राईम फोरेंसिक लेबोरेट्री सह ट्रेनिंग सेन्टर की सफाई के लिए मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। न्यूनतम मजदूरी में बेहोतरी के कारण इस कार्यालय का ज्ञापांक-1588/जी०पी०, दिनांक-03.02.2022 के द्वारा पूर्व में निकाली गई निविदा रद्द की गई है। नई निविदा की शर्त इस प्रकार है :-
आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय के मुख्य भवन एवं आ०अप०इकाई थाना का नया भवन एवं स्टेट साईबर क्राईम फोरेंसिक लेबोरेट्री सह ट्रेनिंग सेन्टर (दोनों भवनों) के सभी बाथरूम, कार्यालय कक्षों, सभाकक्ष, मालखाना, सभी उपरकर एवं परिसर की सफाई प्रत्येक कार्य दिवस को की जायेगी। साथ ही छुट्टियों के दिन कार्यालय खुले होने की तिथि को भी सफाई की जायेगी।

- सफाई का कार्य कार्यालय प्रारम्भ होने के समय 09:30 बजे अपराहन तक पूर्ण कर देना (पूरा कर देना होगा) सफाई कार्य भोला सिंह, दिवा पदाधिकारी की देख-रेख में एवं उनकी संतुष्टि के अनुसार करनी होगी।
- निविदा दाता को कार्यालय की सफाई के लिए दस (10) सफाई कर्मी प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय अवधि (06:00 बजे अपराहन) तक रखना अनिवार्य होगा।
- निविदा दाता को आधार कार्ड की छाया प्रति एवं पहचान हेतु सभी कर्मचारियों की पहचान देनी होगी तथा सभी कर्मियों का आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मोबाईल नम्बर कार्यालय में समर्पित करना होगा।
- सफाई हेतु सभी समानों की आपूर्ति कार्यालय द्वारा की जायेगी।
- सफाईकार्य की निविदा अवधि/दर (1) एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। कार्य संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में संविदा को कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
- निविदा दाता के सफाई कर्मी द्वारा लापरवाही से सरकारी सम्पत्ति की क्षति पहचाने की स्थिति में क्षति की पूर्ण भरपाई निविदा दाता को करनी होगी।
- अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में वेतन की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- सफल निविदा दाता को इकाई के साथ एकरारनामा अवधि में कार्य समाप्त करने के लिए एक माह पूर्व सूचित करना होगा।
- सफल निविदा दाता द्वारा, सफाईकर्मियों को सप्ताह के सातों दिनों का मनादेय देय होगा।
- भुगतान की गई राशि पर नियमानुसार GST कटौती की जाएगी।
- निबंधन संख्या पी०टी०-40 बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित गजट संख्या-05/एम०डब्लू०-40-16/2021 श्र०सं०-993, दिनांक-30.03.2022 के आलोक में न्यूनतम मजदूरी (अर्द्धकुशल 330/--रूपया प्रतिदिन) तय की गई है। उसी के अनुरूप इच्छुक उम्मीदवार अपना-अपना निविदा समर्पित करेंगे।
- न्यूनतम मजदूरी से कम समर्पित किये गये निविदादाता का निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
अतः उपरोक्त शर्तों के आलोक में इच्छुक व्यक्ति अपना-अपना मुहर बंद निविदा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक-11.05.2022 के अपराहन 14:00 बजे तक निश्चित रूप से जमा कर दें। इस तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।
सभी निविदायें दिनांक-11.05.2022 को 16.00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी।
अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार होगा।

पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक-25.4.22

ज्ञापांक-3518/जी०पी०.

- प्रतिलिपि:-
- पुलिस महानिरीक्षक(मु०), बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस संविदा को पुलिस मुख्यालय के सूचना-पट्ट पर लगाने के संबंध में संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देने हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 - जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को इसकी सूचना पटना शहर में प्रचारित/प्रसारित करने के संबंध में प्रेषित।
 - मुख्य कार्यालय पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना को सूचनापट्ट पर लगाकर इसकी सूचना प्रचारित/प्रसारित करने हेतु सादर प्रेषित।
 - सूचनापट्ट, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के माध्यम से प्रचारित करने हेतु।
 - आई०टी० प्रबंधक, पुलिस मुख्यालय, पटेल भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।



1356/ama
02/05/22